

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-12/2016-8/8 दिनांक : 28/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बीस गैबियन एवं रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 211.930 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरानबे हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 30/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.09.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 31/आ0 व0प0 दिनांक 26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 211.930 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरानबे हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	169.517
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	42.413
कुल :-		211.930

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796590103 तथा पी0 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016-818 दिनांक-28/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016- दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ साहेबगंज/ पाकुड़/ लातेहार/ लोहरदगा/ गुमला/ खूँटी/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ चाईबासा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	69.50	342.49
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	1500	4.095	1.042	5.137
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	3000	8.190	2.085	10.275
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	3500	9.555	2.433	11.988
4	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1500	4.095	1.042	5.137
5	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	3200	8.735	2.224	10.959
6	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	3200	8.735	2.224	10.959
7	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	3353	9.153	2.330	11.483
8	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	2500	6.825	1.738	8.563
9	राँची वन प्रमण्डल, राँची	7000	19.109	4.866	23.975
10	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	3500	9.555	2.433	11.988
11	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	6000	16.379	4.170	20.549
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	4000	10.920	2.780	13.700
13	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	4000	10.920	2.780	13.700
14	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	5.460	1.390	6.850
15	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	2000	5.460	1.390	6.850
16	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1000	2.730	0.695	3.425
17	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	6000	16.379	4.170	20.549
18	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	3000	8.190	2.085	10.275
योग :-		60253	164.485	41.877	206.362

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			50324.56	5368.00	55692.56
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	2.516	0.268	2.784
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	5	2.516	0.268	2.784
योग :-		10	5.032	0.536	5.568
सकल योग :-			169.517	42.413	211.930

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)**पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन**

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6" 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी०
 3. मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस -- पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी०

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (₹०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (₹०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोइनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	118.69	5.00	123.69
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	118.69	60.00	178.69
	योग		1.15	272.99	69.50	342.49

प्रधान, मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण

(Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग

पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3 मी०

पौधे से पौधे की दूरी-3 मी०

मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस

प्रति कि०मी० पौधों की संख्या-2000 पौधे

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
i	ii	iii	iv	vi	v	vii
ग	वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकोनी	प्रति कि० मी०	28.00	6646.64	0.00	6646.64
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि० मी०	0.00	0.00	1368.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि० मी०	180.00	42728.40	0.00	42728.40
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	949.52	4000.00	4949.52
	योग :-		212.00	50324.56	5368.00	55692.56

प्रधान मुख्य वृक्ष संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-12/16P2/818

दिनांक - 28-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36780	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	409,500.00 रुपये चार लाख नौ हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36781	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	819,000.00 रुपये आठ लाख उन्नीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36782	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	955,500.00 रुपये नौ लाख पचपन हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

2,184,000.00

क्रमिक योग:

रुपये इक्कीस लाख चौरासी हजार


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BAHAMANGARH, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36783	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	409,500.00 रुपये चार लाख नौ हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36784	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	873,500.00 रुपये आठ लाख तीहत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36785	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	873,500.00 रुपये आठ लाख तीहत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

2,156,500.00

क्रमिक योग:

रुपये तीरयालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ

4,340,500.00



(SHRI. SATNAM SINGH)

PCCF, DABHANG (HANS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36786	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	915,300.00 रुपये नौ लाख पंद्रह हजार तीन सौ
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36787	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	682,500.00 रुपये छः लाख बयासी हजार पाँच सौ
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36788	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	2,162,500.00 रुपये इक्कीस लाख बासठ हजार पाँच सौ

योग: 3,760,300.00

क्रमिक योग: रुपये इक्क्यासी लाख आठ सौ 8,100,800.00


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADAR, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिमूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36789	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	955,500.00 रुपये नौ लाख पचपन हजार पाँच सौ
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिमूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36790	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM JSR.	1,889,500.00 रुपये अठारह लाख नवासी हजार पाँच सौ
12	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिमूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36791	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,092,000.00 रुपये दस लाख बयानवे हजार


योग:

3,937,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बीस लाख सेतीस हजार आठ सौ

12,037,800.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBARKHANA(S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूत वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36792	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	1,092,000.00 रुपये दस लाख बयानवे हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूत वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36795	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O. KOLHAN FOREST DIV. CBSA	546,000.00 रुपये पाँच लाख छयालीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूत वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36796	SGHFOR003 SRI. SHIV KUMAR PRASAD D.F.O. PORAHAT FOREST DIV.	546,000.00 रुपये पाँच लाख छयालीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

2,184,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बयालीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ

14,221,800.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEBARKHANA (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
16	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36798	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	273,000.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार
17	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36799	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,637,900.00 रुपये सोलह लाख सैतीस हजार नौ सौ
18	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36801	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	819,000.00 रुपये आठ लाख उन्नीस हजार

योग:

2,729,900.00

क्रमिक योग:




रुपये एक करोड उनहत्तर लाख इकावन हजार सात सौ

16,951,700.00




(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, BADAUN (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36804	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	104,200.00 रुपये एक लाख चार हजार दो सौ 
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36805	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	208,500.00 रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ 
21	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36807	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	243,300.00 रुपये दो लाख तीरयालीस हजार तीन सौ 

योग: 556,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार सात सौ 17,507,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (H. A. S.) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36808	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	104,200.00 रुपये एक लाख चार हजार दो सौ
23	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36809	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DEO FOREST DIV LATEHAR	222,400.00 रुपये दो लाख बाइस हजार चार सौ
24	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36811	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	222,400.00 रुपये दो लाख बाइस हजार चार सौ

योग:

549,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अस्सी लाख छप्पन हजार सात सौ

18,056,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADAR (MANS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्त राशि
25	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36813	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	233,000.00 रुपये दो लाख तैतीस हजार
26	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36814	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	173,800.00 रुपये एक लाख तीहत्तर हजार आठ सौ
27	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36815	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	513,400.00 रुपये पाँच लाख तेरह हजार चार सौ

योग:

920,200.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड नवासी लाख छहत्तर हजार नौ सौ

18,976,900.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BAHAMANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
28	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36817	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	243,300.00 रुपये दो लाख तीरयालीस हजार तीन सौ
29	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36818	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM JSR.	443,800.00 रुपये चार लाख तीरयालीस हजार आठ सौ
30	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36819	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	278,000.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार


योग:

965,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ निम्नानवे लाख बयालीस हजार

19,942,000.00



(SHRI. SATNAM SINGH)

PCCF, DEBARKHANA (RANCHI)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36821	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	278,000.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार
32	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36822	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	139,000.00 रुपये एक लाख उनचासीस हजार
33	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36823	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	139,000.00 रुपये एक लाख उनचासीस हजार

योग:

556,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड चार लाख अठानवे हजार

20,498,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBRAHAR (NAGALAND) RANCHI

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36824	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	69,500.00 रुपये उनहत्तर हजार पाँच सौ
35	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36825	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DFO DIV.F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	417,000.00 रुपये चार लाख सत्रह हजार
36	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिभूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36827	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	208,500.00 रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ

योग:

695,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख तिरनोवे हजार

21,193,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCOF.D (ADDITIONAL) RANCHI